ISSN Print: 2394-7500
ISSN Online: 2394-5869
Impact Factor: 3.4
IJAR 2015; 1(6): 258-260
www.allresearchjournal.com
Received: 01-03-2015
Accepted: 02-04-2015

Ajit Kumar
Research Scholar,
Department Of Political Science
University Of Delhi

Correspondence:
Ajit Kumar
Research Scholar,
Department Of Political Science
University Of Delhi

यौन अपराध (sexual offences)

Ajit Kumar

यौन अपराध बहुत ही प्राचीन अपराधो मे गिना जाता है अन्य अपराधो की तुलना मे यौन अपराध को समझना आसान है परंतु फिर भी यह बहुत ही जघन्य अपराधो मे गिना जाता हैं हालांकि यौन उत्पीड़न की घटना प्रत्येक घंटे घटित होती रहती हैं, *सिसरे बकारिया* ने अपनी चर्चित कृति *क्राइम एंड पनिशमेंट*[1] मे लिखा कि यह एक सामाजिक रोग है। *बकारिया* प्रथम अपराधशास्त्रीय थे जिन्होंने यौन अपराध को रोग के रूप मे निरूपित किया उनका मानना है कि जिस प्रकार रोगी के लिए दवा कि आवश्यकता होती है उसी प्रकार अपराधी के लिए दंड कि आवश्यकता होती है, पुरुष की तुलना मे स्त्री को आचरण के प्रति अधिक संवेदनशील माना गया है यदि पुरुष यदा कदा कभी यौन संबंध बनाता हैं तो समाज उसे गंभीरता से नहीं लेता लेकिन यदि कोई लड़की या कोई महिला कभी भी अनैतिक यौन संबंध करती है तो समाज उसे उसके प्रति कदा रुख अपनाता हैं उसकी भर्त्सना करता है यहा तक की उसे पतभ्रष्ट या पतिता समझ कर उसका बहिष्टकार कर दिया जाता हैं[2]।

यौन अपराध का इतिहास : यौन अपराध का इतिहास बहुत ही प्राचीन हैं जिसे हम निम्न रुपों मे समझ सकते हैं।

17वी शताब्दी मे अपराध : इस शताब्दी मे लैंगिक उत्पीड़न अमेरिका मे देखा गया वहाँ पर यूरोपियन माडल के द्वारा इसे समझा जा सकता हैं अमेरिका और वहाँ के नैतिक समूहो मे काफी अंतर था। *स्मिथ* ने अपनी कृति *इंक्लोपीडिया ऑफ रेप* मे स्पष्ट किया की इस शताब्दी मे *मारथा बॅलार्ड* नाम एक दाई थी, उन्होने अपराध पीड़ित महिलायों के लिए चिकित्सकीय सुविधा मुहैया कराया और वह हर रोज की घटनाओ का उल्लेख अपनी डायरी मे भी करती थी। इसके साथ स्मिथ का यह भी मानना था की 1670 से पहले वहा की न्यायालय मे केवल एक ही मामला सामने आया उस समय महिला अपने खोये सम्मान को पाने की मांग की और पुरुषो के ऊपर जुर्माना लगाया गया वहाँ पर अधिकांश महियाए नौकरनी के रूप मे कार्य करती थी[3]। इस शताब्दी मे लैंगिक उत्पीड़न का अर्थ केवल महिला और लड़कियो से ही लगाया जाता था जिसे इस रूप मे परिभाषित किया गया "एक ऐसा संभोग जो पुरुष द्वारा महिला की इच्छा के विरूध्द किया गया हो जिसकी आयु 10 वर्ष से कम की हो"।

18 वी शताब्दी मे अपराध : इस शताब्दी मे लैंगिक उत्पीड़न का अर्थ "महिला और पुरुष के बीच लैंगिक संभोग चाहे वह उस महिला की इच्छा के विरुद्ध हो या उसकी सहमति से किया गया हो अपराध की श्रेणी मे आता था" ऐसी कोई लड़की जिसकी आयु 10 वर्ष से कम हो उसके साथ लैंगिक संभोग करना बलात्कार माना जाता था इस शताब्दी मे बलात्कार के लिए मृत्यु दंड की सजा का प्रावधान था। *क्लिंटन* ने अपनी पुस्तक *डेविल लेन सेक्स इन रेस इन यर्ली साउथ*[4] मे स्पष्ट किया की इस शताब्दी मे कई लोगो को मृत्यु दंड दिया जाता था 1738 मे *जर्मी* जो की वर्जीनिया का प्रतिनिधि था उन्होने *एलिज़ाबेथ* नमक महिला का बलात्कार किया जिसके बदले मे उसे फाँसी की सजा दी गयी। वह दूसरी तरह वर्जीनिया के ही एक नौकर को एक शादीशुदा महिला के बलात्कार के सिलसिले मे मृत्यु दंड की सजा दी गयी। इसके साथ वहा पर कई व्यक्ति ऐसे थे दास के रुप मे काम कर रहे थे उनको किसी महिला का बलात्कार करने के कारण जिंदा ही जला दिया जाता था[5]।

19वी शताब्दी मे लैंगिक उत्पीड़न : इस शताब्दी मे लैंगिक उत्पीड़न का अर्थ थोड़ा सा परिवर्तित हुआ "कानूनी शब्दार्थों मे बलात्कार को एक अनियतिक कार्य समझा जाने लगा इसके साथ ही इसे बलपूर्वक किया जाने वाला कार्य माने जाने लगा चाहे महिला की इच्छा के अनुसार हो या उसकी सहमति के बिना हो" *समरविलेन* ने अपनी कृति *रेप इन रेस इन नाइंटीनथ सेंचुरी*[6] मे स्पष्ट किया की इस शताब्दी मे अफ्रीका की महिलायें जो अमेरिका मे नौकरानी के रूप मे कार्य करती थी उनके साथ वहाँ पर गोरे लोगो द्वारा बलात्कार किया जाता था। इसके साथ ही समरविलेन ने यह भी माना की इस शताब्दी मे काले पुरुषो द्वारा गोरी महिलायो का भी बलात्कार किया जाता था इस शताब्दी मे महिलयओं को पेपलटेस[7] का नाम दिया

जाता था जो इस व्यवसाय मे संलग्न थी ।

20वीं शताब्दी मे यौन अपराध : इस शताब्दी मे अपराध से जुड़े आयामों मे बहुत ही बदलाव आ चुका था, कानून महिलायों को ध्यान मे रख कर बनाया जाने लगा इस शताब्दी मे फ्रूड ने बलात्कार को स्पष्ट करते हुए कहां की बलात्कार ऐसा कार्य हैं जिसे बीमार व्यक्ति अपनाता हैं और अपने लैंगिकता को नियंत्रित नही कर पाता उसे मनोवैज्ञानिक स्तर पर इलाज की आवश्यकता हैं वहीं 1970 के बाद बलात्कार विरोधी आंदोलन प्रारम्भ हो गया महिलाओं ने इसके विरुद्ध अपनी आवाज़ बुलंद की[8]।

लैंगिक अपराध से जुड़े तथ्य

- 6 मे से 1 पुरुष अपने जीवन मे अपने साथी के साथ लैंगिक उत्पीड़न करता हैं[9]
- 4 मे से 1 लड़की और 6 मे 1 लड़का 18 वर्ष की आयु तक लैंगिक उत्पीड़न का शिकार हो चुके होते हैं[10]
- 3 मे 1 महिला को पीटा जाता हैं, सेक्स करने के लिए उसका दमन किया जाता हैं या फिर उसे गालियाँ दी जाती है[11]
- 18 प्रतिशत महिलायों का मानना हैं कि महिलाए अपने जीवन में लैंगिक उत्पीड़न की शिकार हो जाती है[12]
- 3 मे से 1 महिला अपने साथी के साथ लैंगिक उत्पीड़न की शिकार होती हैं[13]
- 10 मे से 8 मामले अपने जानने वालों द्वारा किया जाता है[14].

यौनाचार और आपराधिकता मे परस्पर संबंध :

- यौन अपराधी अपने ग्राहको को लूट सकते है या चोरी कर सकते है ।
- स्वयं की सुरक्षा हेतु वे प्रायः प्रतिबंधित हथियार रखने का अपराध करते है ।
- यौन अपराधिकता में अपने ग्राहको को मारने, पीटने या यातना पाहुचने की प्रवृति प्रायः देखी जाती है जो स्वयं अपराध है।
- यौन अपराधियो मे अपने परिवार के प्रति स्नेह आदर या दया की भावना कम रहती है और वे उसके प्रति कठोरता का व्यवहार करते हैं।
- अपराधी प्रतिस्पर्धा या द्वेष से ग्रसित होकर यौन अपराधी आपस मे लड़ते रहते हैं और कभी कभी मारपीट करने से भी नहीं हिचकिचाते[15]।

यौन अपराधिकता के कारण : *डोनाल्ड टेफ्ट* का मानना था कि किसी देश के लोगो का रहन सहन वेश भूषा, साहित्य, कला, विज्ञापन चलचित्र आदि का गहरा प्रभाव पड़ता है कई बार लोग लैंगिक सुख कि अनुभूति हो जाने पर उस कार्य को बार बार दोहराते रहते हैं यद्यपि वे जानते हैं कि उनका स्वरूप आपराधिक प्रवृति का है वही दूसरी तरफ यौन अपराधो का अश्लीलता से घनिष्ठ संबंध है इसके साथ ही, औद्योगीकरण के कारण परिवार का विघटन होता जा रहा है । महिलाए घर से बाहर सभी क्षेत्रो मे पुरुष के साथ बराबरी का कार्य कर रही हैं अतः महिला कि भूमिका पत्नी के रूप मे कम और सहचारिणी के रूप मे अधिक दिखाई देती है इसके अलावा लंबे समय तक घर से बाहर रहने बच्चो की उपेक्षा करना या उन पर नियंत्रण ना रख पाना भी अपराधिकता की श्रेणी में आता है[16]।

परिपूर्णा नन्द ने भी अपनी पुस्तक *क्राइम क्रिमिनल एंड कंविक्ट* मे स्पष्ट किया कि अमेरिका की प्रत्येक 5 विवाह मे से एक वधू विवाह से पूर्व ही गर्भ धारण की हुई रहती हैं और अमरेका की 88 प्रतिशत महिलाए 14 से 18 वर्ष की आयु के बीच स्कूली छात्राओ को यौनचार आरंभ से पहले ही लैंगिक सहवास का पूर्व अनुभव होता हैं। वहीं भारत मे यूनिसेफ की 2013 की रिपोर्ट यह दर्शाती है कि भारत में करीब 42 प्रतिशत लड़कियां विवाह से पूर्व ही उन्हे लैगिक सहवास का अनुभव हो चुका होता है[17] हालांकि वैवाहिक संबंधो के बाहर किया गया यौन संबंध अवैध या अनैतिक अपराध माना जाता हैं जिसके लिए दंड की व्यवस्था है।

यौन अपराधो के विभिन्न प्रकार - वेश्यागमन, शीलहरण, अपहरण, तथा बलात्कार व्यभिचार कुमारी गमन, गुदा मैथुन, समलैंगिक संभोग, गुप्तन्द प्रदर्शन आदि अश्लीलता लैंगिक अपराध नहीं है फिर भी यह लैंगिक अपराधिकता के लिए उत्प्रेरक का कार्य करता है।

भारत मे होने वाले यौन अपराधो के तथ्य : हालांकि भारत मे यौन अपराध अन्य अपराधो की तुलना मे कही अधिक अलग अपराध के रूप मे दिखाई पड़ता है कुछ उदाहरण इस प्रकार है 1979 मे मथुरा मे एक 16 वर्षीय लड़की के साथ पुलिस अधिकारी के खिलाफ मामला दर्ज किया गया परंतु बाद मे पुलिस अधिकारी को सत्र न्यायालय और बाद मे सर्वोच्च न्यायालय द्वारा छोड़ दिया गया क्योकि लड़का जिसने उसका उत्पीड़न किया था वह उस लड़की का ब्वायफ्रेंड था। उस लड़की को चरित्र हीन नारी बता दिया गया और उसके ऊपर यह आछेप लगाया गया की वह कौमार्य से युक्त नहीं है अतः उसे यौन उत्पीड़न का केस नहीं माना जा सकता[18] वही 1980 मे पुलिस हिरासत मे एक महिला के साथ बलात्कार हुआ और उसे गली मे नंगा घुमाया गयाए, 1988 मे सुमन बलात्कार केस का मामला सामने आया यह केस भी मथुरा केस की ही तरह था इसमे भी अपराधी लड़की का ब्वायफ्रेंड था जिसकी वजह से मामला ढीला पड़ गया। इसके साथ ही 21 अप्रैल 2005 को मुंबई मे एक और हिरासतीय बलात्कार प्रकाश सामने आया इसमे 17 वर्षीय लड़की अपने दो दोस्तो के साथ टहल रही थी यहां भी दुष्कर्म का आरोपी पुलिस ही था उस पुलिस वाले ने उन सबकोंपुलिस थाने मे तलब किया और बाद मे उन दोनों लड़को को छोडकार उस लड़की के साथ बलात्कार किया वही हाल ही मे शांति मुकुन्द हॉस्पिटल मे वार्ड मे काम करने वाला लड़का भी नर्स के साथ बलात्कार किया और उसकी दायी आँख निकाल ली[19]।

यौन उत्पीड़न दूर करने के प्रयास

दी फोरम अगेन्स्ट रेप : इस फोरम की स्थापना 1981 मे की गयी यह फोरम मथुरा नगरी और माया नगरी मे काफी सक्रिय रहा इसने महिलायों को जागृत किया और उनमे चेतना का विकास किया इसके साथ महिलाओ से जुड़े मुद्दे को भी उठाये ।

प्रोग्रेसिव वुमेन अगेन्स्ट ऑर्गनाइजेशन : इस फोरम की स्थापना ओस्मानिया विश्व विद्यालय मे किया गया जिसका उद्देश्य दहेज, छेड़छाड़, जैसे मुद्दो को दूर करना जिससे महिलयों को एकत्र किया जा सके ।

इसके अलावा सामाजिक स्तर पर माता पिता का यह दायित्व है कि वह किशोरों को उत्पीड़न के बारे मे अवगत कराये।

व्यक्ति को हमेशा कार्यो मे व्यस्त रहना चाहिए।

यौन अपराध से संबन्धित कानूनों मे परिवर्तन होना चाहिए जिस प्रकार गर्भपात संबन्धित कानून अविवाहित मातृत्व की शिकार महिलाओं को सामाजिक लांछन्न से बचाने में सहायता हुई है उसी प्रकार अन्य अपराधो के प्रति भी गंभीरता से विचार किया जाना चाहिए[20]

निष्कर्ष : यौन अपराध बहुत ही जघन्य अपराधो मे माना जाता है परंतु इसे सभी लोगो द्वारा मिलकर समाधान किया जा सकता है चाहे वह पुलिस संस्थान हो, न्यायालय हो या फिर जनता, जब तक समाज की सार्वजनिक भागीदारी नहीं होगी तब तक उसे नही रोका जा सकता, कोई भी कानून सही ढंग से तभी काम कर सकता है जब तक लोगों का उसमे भरोसा कायम न हो। इसके साथ ही इस प्रकार के अपराध को खत्म करने के लिए लोगो की सोच मे भी बदलाव की आवश्यकता है एक ऐसा समाज बनाना होगा जिसमे जहां तक हो सके लोगो के बीच समतामूलक समाज बनाया जाय कोई इतना गरीब न हो कि अपने आप को बेच सके और कोई इतना अमीर भी न हो की किसी को खरीद सके।

Reference

1. Pranjape, *'Criminology, penology and victimology'* Centrla law publication Allahabad, 2012.
2. Bacceria, 'Crime and punishment and other writtings' translated Rechard Devis, Cambridge Text in the history of political thought: Paperback.521, 479827.
3. Smith, Merril D. ed. *Encyclopedia of Rape.* Westport, Westport: Greenwood Press, 2004.
4. Clinton, Catherine, and Michele Gillespie, eds. The Devil's Lane: Sex and Race in the Early South. New York: Oxford University Press, 1997.
5. Sommerville, Diane Miller. Rape and Race in the Nineteenth- Century South. Chapel Hill: University of North Carolina Press, 2004.
6. Caryn E Neuman, *Sexual Crime* California ABC.
7. Intimate Partner Violence, Bureau of Justice Statistics, 2000
8. Finkelhor, David, *et al.* "Sexual Abuse in a National Survey of Adult Men and Women: Prevalence, Characteristics, and Risk Factors." 1990
9. Heise L, Ellsberg M, Gottemoeller M. Ending Violence against Women. Population Reports, Series L, No. 11., December, 1999.
10. *O* Vlachovà, Marie and Biason, Lea, Eds. (2004) Women in an Insecure World: Violence against Women - Facts, Figures and Analysis. Geneva Centre for the Democratic Control of Armed Forces
11. National Institute of Justice and Centers for Disease Control and Prevention,, Prevalence, Incidence, and Consequences of Violence Against Women: Findings from the National Violence Against Women Survey, November, 199
12. Koss MP, Harvey MR. The Rape Victim New York, London, New Delhi: Sage Publications, 1991.
13. O Ullman SE, Knight RA. Fighting Back: Women's Resistance to Rape. Journal of Interpersonal Violence 1992; 7(1):31-42
14. O Randall, Melanie and Haskell, Lori, "Sexual Violence in Women's Lives: Findings from the Women's Safety Project, A Community-Based Survey." *Violence against Women* 1995; 1(2):6-31.
15. Tjaden P, Thoennes N. Full report of the prevalence, incidence, and consequences of violence against women: findings from the national violence against women survey. Washington (DC): National Institute of Justice; 2000, Report NCJ 183781
16. Tapan Biswal, Tanya Mohanti, Women Movement in India' in Tapan Biswal (ed) *Human Rights gender and Environment,* Vibha, 2008.